बीती हुई अवधि वाले कीटनाशकों की बिक्री

336 श्री राम नरेश यादव :
श्री ईश दत्त यादव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 अगस्त, 1988 के "ट्रिब्यून" में "गवर्नमेंट सैलिंग एक्सपायर्ड पेस्टीसाइड्स' (बीती हुई अवधि वाले कीटनाशकों की सरकार द्वारा बिक्री शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में यदि कोई जांच की गई हो तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि अभी तक कोई जांच नहीं की गई है तो जांच कब तक कराये जाने की संभावना है; और

(ग) क्या सरकार सम्बन्धित विभाग से इस किसी अन्य विभाग द्वारा इस मामले की जांच कराने का विचार रखती है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी हां ।

(ख) पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि पंजाब कृषि विभाग ने कृषकों को कीटनाशी दवाइयों की अल्प मात्रा वैध अवधि के समाप्त होने के 25 दिनों के अन्दर बेची है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह बताया गया है कि वैध अवधि हाल ही में समाप्त हुई थी और कृषकों को खुले बाजार मूल्यों की तुलना में कम मूल्यों में लाभ होगा । पंजाब सरकार ने इस प्रकार की बिक्री को बंद करने के लिए निदेश जारी कर दिये हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

Liberal import of various seeds

367. SHRI A. G. KULKARNI:
SHRI VIRENDRA VERMA:
SHRI YASHWANT SINHA:
SHRI JAGADISH JANI:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government had decided to import seeds of oilseeds, pulses, coarse, grains, vegetables, fruits and flowers etc. on liberal scale:

(b) if so, what are the details thereof and the reasons for importing seeds from abroad when country has a creditable Agricultural Research facilities and scientists are producing seeds suitable for the purpose;

(c) whether Government are aware of the devastating effects of importing such seeds which ultimately ruin the agricultural economy; and

(d) the period for which this policy is likely to continue and the likely outgo of foreign exchange as a result thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SHYAM LAL YADAV): (a) Yes, Sir. It has been decided to liberalise the imports of fruits and flowers and to permit the imports of coarse, pulses and oilseeds on conditional basis. This has been done without prejudice to the country's long term interests. The import of seeds of oilseeds, pulses and coarse cereals will be allowed for a period not exceeding two years, to companies which have technical/financial collaboration agreement for production of seeds with overseas companies stipulating that the foreign supplier would supply parent lines of seeds to the Indian collaborator company within a period of two years from the date of import of the first commercial consignment. The import of seeds of vegetables/